न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 15/2020

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
चम्पालाल पुत्र जोगाराम जाति घांची, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 22, नगर परिषद बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2018 जो सरकार बनाम चम्पालाल के प्रकरण सं. 211/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 211/2017 सरकार बनाम चम्पालाल मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि श्री खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा अपीलार्थी चम्पालाल पुत्र जोगाराम, उचित मूल्य दुकान वार्ड सं. 22 बालोतरा के [illegible] रिपोर्ट दिनांक 21.09.2017 जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा माह सितम्बर 2016 से मार्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2017 तक बिना आधार सत्यापन बालोतरा शहर एवं पंचायत समिति कल्याणपुर के ग्राम पंचायत मूलजी की ढाणी के उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर राशन सामग्री वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं करवाकर पोश मशीन से ट्रांजेक्शन करते हुए राशन सामग्री का गबन किये जाने की अनियमितता उल्लेखित की गई । जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.10.2017 जारी किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 02.02.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। इस पर भी अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब एवं स्टॉक हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रकरण मे अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तबल किया एवं अपीलाधीन कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्राधिकार प[illegible] होने के पश्चात लगातार विभागीय नियमानुसार उ[illegible] का वितरण करता आ रहा हैं एवं प्रार्थी पर इस प्रकरण से [illegible] कोई अनियमितता का आरोप नहीं आया हैं। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा गलत तथ्यों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

जांच के आधार पर प्रकरण में आवश्यक वस्तुओं के वितरण, भण्डारण एवं प्राप्ति कार्यवाही में होने वाली छिज्जत को अनदेखा करते हुए अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे राशन कार्ड जांच रिपोर्ट एवं जांच बयान की फर्द के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उचित मूल्य की राशन सामग्री के वितरण में उपभोक्ताओं की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हैं। वार्ड सं. 22 में संचालित उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ता रामेश्वरी, कान्ता, गौतम व नरसिंगाराम को नियमित वितरण संबंधी पूछताछ में सभी ने राशन वितरण मे नियमित सामग्री प्राप्त होना बताया एवं दुकान संचालनकर्ता से किसी प्रकार की शिकायत नहीं होना जाहिर किया हैं। इसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेष भावना से विभागीय प्रकरण संस्थित किया गया हैं एवं मनगंढत तथ्यों के आधार पर बिना युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2018 को अपीलांट को अंतिम नोटिस जारी कर मात्र 5 दिन बाद दिनांक 07.02.2018 को आगामी पेशी नियत करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी को उक्त नोटिस दिनांक 06.02.2018 को प्राप्त हुआ जिस पर प्रार्थी ने अपने भाई की शादी होने के कारण 07.02.2018 को उपस्थित होने में असमर्थता अंकित कर नोटिस लौटाया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एकप[illegible]री कर दिया। अपीलार्थी की दुकान का संचालन पूर्व मे समीपस्थ वार्ड [illegible] के संचालनकर्ता को दिया गया था तथा अपीलार्थी यह समझता रहा कि प्रकरण अभी तक विचाराधीन हैं किन्तु हाल ही में उक्त दुकान किसी अन्य दुकानदार को संचालन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिये जाने पर दिनांक 22.12.2019 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर पता किया तो ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण निस्तारित करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका हैं। इस पर अपीलाधीन आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.01.2020 प्रस्तुत किया तथा दिनांक 14.01.2020 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील सम्यक तत्परता से प्रस्तुत की गई हैं, जिसे अन्दर मयाद शुमार की जावें। अपीलार्थी की ओर से विधिक बाध्यता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 अपास्त कर खारिज किया जावें एवं अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश फरमाया जावें।

7. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान खुली पाई गई तथा अपीलार्थी स्वंय उपस्थित रहा। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से राशन सामग्री के वितरण की पूछताछ करने पर उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन सामग्री नियमित रूप से प्राप्त हो रही है तथा राशन के वितरण में कोई शिकायत नहीं हैं। उचित मूल्य दुकानदार को आवंटित पोश मशीन क्रमांक 15576 से माह सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक अवधि में बिना आधार सत्यापन के राशन सामग्री वितरण के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि बालोतरा शहर के राशन कार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की हैं किन्तु गांव व बालोतरा के अन्य वार्डों के संबंध में सामग्री वितरण बाबत सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उक्त अवधि की राशन सामग्री का वितरण वार्ड सं. 22 के अतिरिक्त अन्य वार्डों एवं ग्राम पंचायत मूलजी की ढाणी के उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से नहीं किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

केवल पोश मंशीन में ट्रांजेक्शन करते हुए सामग्री का गबन किये जाने पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस तामील के बावजूद उसकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2,7,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा मौके पर पहुंच कर शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत राशनकार्डों की जांच की गई तथा मौके पर अपीलार्थी की दुकान पर उपलब्ध पोश मशीन के ट्रांजेक्शन बिना आधार सत्यापन होना पाया गया। प्रवर्तन निरीक्षक बालोतरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में माह सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक अवधि में ग्राम पंचायत मूलजी की ढाणी व बालोतरा [illegible] वार्डों के उपभोक्ताओं को बिना आधार सत्यापन के राशन सामग्री वितरण वास्तविक रूप से नहीं किया जाकर केवल पोश मंशीन में ट्रांजेक्शन करते हुए सामग्री का गबन किये जाने की अनियमितता का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को प्रथम नोटिस दिनांक 06.10.2017 जारी किया गया, जिसका अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस दिनांक 02.02.2018 जारी किया गया। यह नोटिस भी अपीलार्थी को विधिवत रूप से तामील होने के बावजूद जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ हैं तथा उक्त नोटिस पर अपीलार्थी द्वारा अंकित किया हैं कि ''मेरे भाई की शादी होने कारण मै 07.02.2018 को शादी होने कारण उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, 12 / 02 / 2018 को सुबह 10 बजे उपस्थित हो जाउंगा और 07.02.2018 को उपस्थित नहीं की माफी चाहता हूँ।'' इस प्रकार अपीलार्थी के नोटिस में स्पष्ट अंकित किया गया था कि अवश्यक रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अपीलार्थी ने इसके बावजूद गैर जिम्मेदारान रूप से नोटिस पर उक्त तामीली इबारत अंकित की हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच में अनियमितताऐं व गबन पाया गया हैं जो गम्भीर प्रकृति की अनियमितता हैं। अपीलार्थी ने जांच अधिकारी, अधिनस्थ अधिकारी एवं इस न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील में इस गबन की अनियमितता के संबंध में काई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपीलार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसकी अनियमितताऐं साबित मानते हुए अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया हैं। जहां तक अपील में मयाद का प्रश्न हैं तो अधिनस्थ कार्यालय द्वारा जारी नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील किया हैं तथा इसके पश्चात भी युक्तियुक्त समय के भीतर अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा हैं ऐसे में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी यथासमय नहीं होने का तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.02.2018 यथावत बहाल रखा जाता हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि जांच में पाई गई गबन की अनियमितता के लिये नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी की जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:46 IST
Reason: SelfAttested